



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,

BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1147 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No.1147

विषय/Sub: 3 तरह के लो अलॉय स्ट्रक्चरल स्टील - 3 टाइप्स / Low Alloy Structural Steel - 3 Types

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स राम्प्रा स्टील इंडस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड, ए-11, श्रीराम इंडस्ट्रियल एस्टेट, जी.डी. अम्बेडकर रोड, वडाला, मुंबई - 400 031 द्वारा संसाधित तथा उत्पादित 1) कोल्ड ड्रॉन हेक्सागन्स (साइज़: ए/एफ 7 मि मी-32 मिमी), 2) कोल्ड ड्रॉन राउंड्स (साइज़: व्यास 7 मि मी-26 मि मी) और 3) एच.आर. राउंड रोड्स (साइज़: व्यास 35 मि मी-125 मि मी) से बनाया हुआ "लो अलॉय स्ट्रक्चरल स्टील ग्रेड 30 केएचजीएसए" को पत्र सं. सेमिलेक/5070/टीए-1147, दिनांक 14 सितंबर 2005 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1147 जारी किया गया है जो कि 30 जून 2010 तक वैध था।

This is to state that the "Low Alloy Structural Steel Grade 30 KHGSA", consists of 1) cold drawn Hexagons (size: A/F 7mm - 32 mm), 2) Cold Drawn Rounds (Size: Dia 7mm - 26mm) and 3) H.R. Round rods (sizes: dia 35mm -125mm), processed and manufactured by M/s Rampra Steel Industries Pvt. Ltd, A-11, Shreeram Indl. Estate, G.D Ambedkar Road Wadala, Mumbai - 400 031, has been issued with Type Approval No. 1147 vide letter No. CEMILAC/5070/TA-1147, Dated: 14th Sept 2005 and was valid up to 30th Jun 2010.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2013 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा यह 30 जून 2018 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (नासिक), ओझर टाउनशिप 422 207 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र के अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st Aug 2013 based on the satisfactory performance feed back and is valid up to 30th June 2018. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Nasik), Ojhar Township - 422 007, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1147-1R

दिनांक/Date : 6th Aug 2013

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

(गंतायत गौड़ वै. 'जी'/G. Gouda, Sc. 'G')

स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/

Offg.Chief Executive (Airworthiness)